

डिकी मुकदमा इब्दाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत-न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) बाँदीकुई मुकाम-बाँदीकुई
जज इजलास- रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) बाँदीकुई
उनवान- रामजीवण बनाम हरमजन

दावा बाबत- इस्तकरार हक दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मु.न. 186 / 2019 न्यायालय हाजा में दर्ज संख्या 58 / 2023

आदेश है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरुस्ती एवं हुक्म

इस्तनाई दवामी का स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडा तह० बसवा जिला दौसा हाल बाँदीकुई मे खतौनी सं० नई 190 पुरानी 180 का ख०न० 522 रकबा 0.05 है०, ख.नं 523 रकबा 0.07 है०, ख०न० 524 रकबा 0.07 है०, ख.नं 525 रकबा 0.08 है०, ख.नं 526 रकबा 0.11 है०, ख.नं 529 रकबा 0.18 है०, ख.न. 530 रकबा 0.12 है०, ख.न. 531 रकबा 0.24 है०, ख.न. 532 रकबा 0.12 है०, ख०न० 533 रकबा 0.06 है०, ख०न० 534 रकबा 0.06 है०, ख०न० 535 रकबा 0.06 है०, ख०न० 536 रकबा 0.10 कुल 13 किता कुल रकबा 1.32 है० लागानी 54.12 रूपये एवं ग्राम खेडी तह० बसवा जिला दौसा हाल तहसील बाँदीकुई की खतौनी संख्या नई 156 पुरानी 131 का खसरा ख०न० 102 रकबा 0.27 है०, ख०न० 103 रकबा 0.29 है०, ख०न० 104 रकबा 0.45 है०, ख०न० 107 रकबा 0.02 है० ख०न० 108 रकबा 0.02 है०, ख०न० 109 रकबा 0.01 है०, ख०न० 110 रकबा 0.45 है०, ख०न० 175 रकबा 0.35 है०, ख०न० 798 रकबा 0.48 है०, ख०न० 799 रकबा 0.47 है०, ख०न० 800 रकबा 0.48 है०, ख०न० 801 रकबा 0.47 है० कुल 12 किता कुल रकबा 3.76 है०, स्थित में वादी संख्या 1 रामजीवण पुत्र हरसहाय तरतीबी प्रतिवादीगण श्रीमन पुत्र रामखिलाडी, विजय पुत्र रामखिलाडी, रामफुल पुत्र हरसहाय का हिस्सा 1/4 व वादी संख्या 2 हजारी पुत्र लोहडया वादी संख्या 3. कैलाश पुत्र लोहडया वादी संख्य 4. रामकिशन पुत्र लोहडया -(फोट) 4/1-गुडडी देवी पत्नि रामकिशन 4/2- पूजा पुत्री रामकिशन 4/3-काली पुत्री रामकिशन 4/4-सपना पुत्री रामकिशन 4/5-तन्नू पुत्री रामकिशन 4/6-मिथलेश पुत्री रामकिशन 4/7-संतरा पुत्री रामकिशन का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरमजन पुत्र मुल्या प्रतिवादी संख्या 2 रामस्वरूप पुत्र मुल्या का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 3 सुखबाई पुत्री रामधन का हिस्सा 1/4 के खातेदार कास्तकार घोषित किये जाते है। अर्थात पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हकदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1,2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल न करे तथा उक्त आराजीयत पर प्रतिवादी न. 1 व 2 द्वारा बैंक से जो ऋण लिया गया है वह उनके हिस्से पर भार अंकित रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो। तहसीलदार तदानुसार निर्णय की पालना करे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निज.....मुबलिग.....बाबत.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह.....0 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...0 का अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 05 सन् 2024 को जारी की गई।

(Handwritten Signature)
(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)
कार्यपालक बाँदीकुई
(फास्ट ट्रेक) बाँदीकुई

मुद्दाई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

(Handwritten Signature)
दस्तखत.....
ओहदा.....
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक बाँदीकुई
(फास्ट ट्रेक) बाँदीकुई